

01/07/2017

व्युत्पन्न रूप

वकील प्राथमिकी प्राथनापत्र की नकल दिलाई गई।
वकील प्राथमिकी जमाक पेक्षा करने हेतु समय चाहते
हैं, जो दिया जाता है। परावली वास्तु जमाक/वकालत
हेतु दि. 01/07/2017 को पेक्षा हो।

श्री
श. वि. कलेक्टर, पानी

01/07/2017

व्युत्पन्न रूप

मैत्रालयिक कार्रवारियों के सामूहिक अवकाश में
छोने के कारण परावली नियत तारीख पेक्षा के
पश्चात आज पेक्षा हुई समय पर अधिशासकगण
की सुना गया। परावली का अवलोकन किया
जैर निगरानी आजा एवं इसकी पालना में जारी
पट्टे के संवन्ध में पूर्व में निगरानी संख्या 93/2012
संसार एवं कनाम गन्नीसां वायर ठोकर
दिनांक 16/07/2015 को निर्धारित हुई है। उस्तवत
निगरानी पुनः इसी आजा व इसकी पालना में
जारी पट्टे के विकट्ट की गई है, जो सिविल
प्रक्रिया संविता 1908 की धारा 11 के तहत
Res Judicata से लक्षित होने के कारण
प्राथमिकी नहीं है। लिहाजा प्राथमिकी प्रस्तुत
निगरानी प्राथमिकी नहीं होने से रद्द कर दी
जाती है। इस निगरानी की प्रति के साथ अधिशासक
व्यायालय का रेकॉर्ड नोंराथा अवे। उर पालना
परावली कंसल में सुमार ठोकर नम्बर से
कम हो।

श्री
श. वि. कलेक्टर, पानी

W. K. S. P. S. C. 6/9
6/9
6/9